न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 40/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 05.04.2024
निर्णय दिनांक – 21.01.2025

अनवान

1. हरलाल पुत्र मेघा गुर्जर निवासी सोनियाणा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द।

....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया।

....................विपक्षी

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी कराने बाबत् अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री शेषमल गाडरी
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया मे स्थित आराजी संख्या 1213/1, 888 कुल किता 2 रकबा 1.0683 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1214 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी इन भूमियों परं काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है और प्रार्थी की भूमि में नुकसान पहुँचाते है। प्रार्थी इन रोजमर्रा के विवादो से व अपनी भूमि में आये दिन होने वाले नुकसान से निजात चाहता है और इस हेतु वह अपनी भूमि के चारो और कोट (चारदिवारी) बना उसकी समुचित सुरक्षा करना चाहता है परन्तु सीमाओ पर स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं हो रहा है और इसके चलते प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। यही नहीं प्रार्थी की भूमि में पैदा होने वाली फसल को भी नीलगायो द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है जिससे बचाव हेतु भी भूमि के चारो और पत्थरो का कोट बनाया जाना आवश्यक है। भूमि की सीमाओ पर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त वादग्रस्त आराजीयात के चारो दिशाओ की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार शुल्क भी जमा कराने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व उक्त वर्णित आराजीयात की चारो दिशाओ की पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि प्रकरण में समस्त पडौसियों को पक्षकार बनाया जाकर पत्थगगढी किया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया मे स्थित आराजी संख्या 1213/1, 888 कुल किता 2 रकबा 1.0683 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1214 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की सहखातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम सोनियाणा की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 की खाता संख्या 254 अनुसार आराजी संख्या 1213/1, 888 कुल किता 2 रकबा 1.0683 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी हरलाल पुत्र मेघा गुर्जर एवं मांगीलाल पुत्र मेघा गुर्जर के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। एवं खाता संख्या 351 अनुसार आराजी संख्या 1214 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र मेघा गुर्जर व अन्य 1 लगायत 23 की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि नहीं होकर सहखातेदारी की है। सहखातेदार होने की स्थिति में पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित खाते के सभी सहखातेदार पत्थरगढी हेतु आवेदन करे। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी जाहिर आया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया है कि पडौसी भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है और प्रार्थी की भूमि में नुकसान पहुँचाते है किन्तु प्रार्थी ने यह अंकित नहीं किया है कि वे किस आराजी की किस सीमा के पडौसी है जो विवाद करते है, न ही किसी पडौसी का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, न ही ऐसे किसी पडौसी खातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। उपरोक्तानुसार तथ्यों का विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner